

**राज्य परियोजना इकाई,**  
**जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी)**  
**(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)**  
 कार्यालय – म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक परिसर,  
 8 अरेरा हिल्स, पुरानी जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)  
 फोन – 0755–2559505, 2550414 (फैक्स)

### विज्ञापन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अन्तर्गत संचालित डीपीआईपी परियोजना के द्वितीय चरण (2009–2014) अन्तर्गत संकुल स्तरों के रिक्त पदों के लिये कन्सलटेन्सी सर्विसेस अन्तर्गत अनुबंध आधार पर सलाहकार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर रहकर कार्य करने के इच्छुक अर्हताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं –

| पद  | पद संख्या | मानदेय                | नियुक्ति प्रकार                              | योग्यताएँ  |
|---|-----------|-----------------------|--|--|
| सदस्य सलाहकार, कृषि / मार्झिक्रो फाइनेन्स / सामाजिक सशक्तिकरण | 60        | रु. 9900/- (प्रतिमाह) | कन्सलटेन्सी सर्विसेस अन्तर्गत अनुबंध आधार पर | सदस्य कृषि – न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ B.Sc. (Ag.), अनुभवी को प्राथमिकता।<br>सदस्य मार्झिक्रो फाइनेन्स – न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों में एम. बी.ए. (वित्त) / एम.बी.ए. (ग्रा.वि. / ग्रा.प्रबंधन), अनुभवी को प्राथमिकता।<br>सदस्य सामाजिक सशक्तिकरण – न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.बी.ए. (ग्रा.वि.) / पीजीडीआरडी / एमएसडब्ल्यू, अनुभवी को प्राथमिकता। |

- उक्त परियोजना मध्यप्रदेश के 15 जिलों – राजगढ़, रायसेन, विदिशा, शाजापुर, गुना, सागर, दमोह, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, नरसिंहपुर, रीवा, सीधी एवं सिंगराली में माह दिसम्बर वर्ष 2014 तक क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना में संविदा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है।
- कन्सलटेन्सी सर्विसेस अन्तर्गत सलाहकार के रूप में निर्धारित योग्यता की पूर्ति करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रपत्र (परियोजना की बेबसाईट – <http://dipmp.mp.gov.in> से प्राप्त कर सकते हैं।) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे पर (सलाहकार हेतु आवेदन एवं पद का नाम) अंकित करना अनिवार्य है।
- निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त आवेदन, जिसमें शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षणिक अर्हता संबंधी अभिलेख संलग्न होने पर, स्क्रूटनी समिति द्वारा अर्हताधारी अभ्यर्थियों को विशिष्ट चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।
- वांछित शैक्षणिक योग्यता देश / प्रदेश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता को संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त अंकसूची एवं डिग्री/प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
- कन्सलटेन्सी सर्विसेस अन्तर्गत कन्सलटेन्ट की सेवायें अनुबंध आधार पर ली जावेगी। जो सेवायें संतोषप्रद होने पर अनुबंध आधार पर परियोजना समाप्ति तक नवीनीकृत की जा सकेगी। यह परियोजना 31 दिसम्बर 2014 को समाप्त होगी।
- कन्सलटेन्सी सर्विसेस अन्तर्गत सलाहकार के रूप में सेवाएं ली जाएंगी अर्थात् संविदा नियुक्ति नहीं होगी।
- उपरोक्त निर्धारित योग्यता की पूर्ति करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी का आवेदन निर्धारित आवेदन के साथ दिनांक 05.08.2013 तक राज्य परियोजना इकाई में प्राप्त होना आवश्यक है।
- एक से अधिक पद के लिये अर्हताधारी अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक लिफाफों में पद का नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है। जिस लिफाफे पर उक्त जानकारी उल्लेखित नहीं होगी, ऐसे आवेदन निरस्त किये जा सकेंगे।
- विज्ञापन में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि / कमी का अधिकार परियोजना समन्वयक का होगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय परियोजना समन्वयक, डीपीआईपी का होगा।
- परियोजना, विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र के फार्मट के प्रारूप तथा अन्य विषय संबंधी जानकारी परियोजना की बेबसाईट – <http://dipmp.mp.gov.in> पर से डाउनलोड की जा सकती है।



11. अन्य कोई उपलब्धियां/विवरण यदि हो तो दें –

.....  
.....  
.....  
.....

// घोषणा पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी से सत्य एवं सही है। यदि चयन पूर्व या उसके पश्चात् यह पाया जाए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/शंकापस्द है तो आवेदक/आवेदिका का चयन/नियुक्ति रद्द कर मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान –

दिनांक –

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर